

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—216/2017/223 (2017/00216)

1. श्रीमती धापू पुत्री गैना,
2. श्रीमती शांति पुत्री गैना,
जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती कमला पुत्री गैना पत्नि मिश्री (मृतक) जरिये वारिसान:—
3/1— मिश्री पति श्रीमती कमला,
3/2— बीरम पुत्र मिश्री,
3/3— शैतान पुत्र मिश्री,
3/4— श्रीमती माया पुत्री मिश्री,
समस्त जाति रावत, निवासी रतनपुरा, तह० मसूदा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती झमकू पुत्री गैना पत्नि बाबूसिंह (मृतक) जरिये वारिसान:—
4/1— महेन्द्र पुत्र बाबूसिंह,
4/2— भैरू पुत्र बाबूसिंह,
4/3— जगदीश पुत्र बाबूसिंह,
4/4— श्रीमती लक्ष्मी पुत्री बाबूसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम भोमाजी का थान, मेडिया, ब्यावर, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पांचू पुत्र गैना,
2. केसा पुत्र गैना,
3. घीसा पुत्र गैना,
4. श्रीमती मूमी पत्नि गैना,
5. श्रीमती राधा पुत्री गैना,
6. श्रीमती बदामी पुत्री गैना,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 17.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 144/2014.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह राटौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सूरजसिंह, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 4.
3. रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3, 5 व 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 7.

निर्णय

दिनांक:- 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 3 व [4/वादीगण](#) ने अधी0न्याया0 में वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92-ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम शम्भूपुरा, पटवार क्षेत्र ब्यावर खास, तह0 ब्यावर के खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा बिस्वा किस्म बा-2 स्थित है । उक्त विवादित भूमि एवं अन्य कृषि भूमियां खसरा नंबर 1237, 1272 व 1274 वादीगण को न्यायालय सब डिविजनल ऑफिसर ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 86/1995 अजनाम घीसासिंह वगै0 बनाम पांचू व अन्य में पारित बंटवारा दिनांक 2.4.1996 के अनुसार बतौर खातेदारी प्राप्त हुई है । तथा शेष खसरा नंबर 1297, 1300, 1303, 1314, 1347, 1430, 1331 व 1332 की भूमियां प्रतिवादी व उनकी माता श्रीमती रतनी के हिस्से में आये उक्त डिक्री के आधार पर नामांतरण संख्या 529 दिनांक 20.7.1996 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में लाल स्याही से अंकन होकर मौके पर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण का करवा दिया था । प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई तथा वादीगण के विवादित भूमि पर बोर्ड हुई बाजरी की फसल में प्रतिवादीगण ने जबरन मवेशी छोड़कर नुकसान कारित कर रहे है । जिसका विरोध वादीगण ने किया तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम इस खेत पर कब्जा करके रहेंगे । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं करे तथा विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे व उपभोग में कोई दखदांजी नहीं करे तथा विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 द्वारा [वादीगण/रेस्पो0](#) संख्या 3 व 4 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
1. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । भूमि खसरा नंबर 1331 एवं 1332 श्रीमती रतनी की क्यशुदा तन्हा खातेदारी की भूमि होकर धारा 14 उत्तराधिकारी अधी0 के अनुसार निजी सम्पति है । इनके अतिरिक्त शेष वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान के पिता गैना पुत्र कानसिंह की खातेदारी की भूमि है जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रत्येक अपीलांट का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है लेकिन गैना के स्वर्गवास के बाद गैना की पुत्रियों को पक्षकार बनाये बिना रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वाद संख्या 86/95 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 तथा श्रीमती रतनी को प्रतिवादीगण मुर्तिब करते हुए प्रस्तुत कर आपसी दुर्भिसंधि कारित कर गैर कानूनी रूप से राजीनामे के आधार पर दिनांक 2.4.1996 को डिक्री जारी करवा ली है जो अपीलांटस के हक, अधिकारा एवं स्वत्वों पर कतई

बातिल व बैअसर होकर शून्य प्रभावी है । क्योंकि विवादित भूमि में सहदायको की संख्या के अनुपात में प्रत्ये अपीलांट का हिस्सा निहित है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना वादपत्र डिक्री करवा लिया गया जो प्रथम दृष्टया शून्य होकर डिक्री दिनांक 2.4.1996 एवं इसके आधार पर हुए त्रुटिपूर्ण अमल दरामद की आड़ में पारित पश्चात्वर्ती आज्ञापति दिनांक 17.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 144/2014 भी अवैधानिक होकर काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि गैना का स्वर्गवास होने के पश्चात् यदि गैना की विरासत मात्र पत्नियों एवं पुत्र संतानों के नाम तस्दीक की गई है तो ऐसी त्रुटिपूर्ण विरासत के आधार पर विवादित भूमि में निहित अपीलांटस के हिस्से के स्वत्व न तो समाप्त हुए है और न ही अपीलांटस के स्वत्व रेस्पों में निहित है क्योंकि अपीलांटस द्वारा अपने हिस्सों के स्वत्व रेस्पों के हक में किसी भी दस्तावेज से हस्तांतरित नहीं किये गये है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर वाद संख्या 86/95 में अंकित त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर अधीन्याया द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधीन्याया के समक्ष [प्रतिवादीगण/रेस्पों](#) संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बावजूद न तो तनकियात कायम की गई एवं न ही किसी पक्ष की साक्ष्य ग्रहण की गई एवं कैम्प कोर्ट ग्राम ब्यावर खास में वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 13, 18 एवं 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । श्रीमती धापू पुत्री गैना द्वारा वाद संख्या 144/2014 में दिनांक 12.8.2015 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णित किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि निर्णय से पूर्व विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक था । बहस में आगे कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 817 जिसके नये खसरा नंबर 1331, 1332 के खातेदार मदन व उम्मेद पुत्रान जवरीलाल भण्डारी थे जिनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती रतनी पत्नि गैना को विक्रय किया गया था । उक्त आराजियात श्रीमती रतनी द्वारा अपने स्त्रीधन से क्रय की गई थी जो उसकी व्यक्तिगत एवं निजी सम्पत्ति थी जिसके हाफ ब्लू के बजाय फल ब्लड को प्रफरेन्स के आधार पर श्रीमती रतनी द्वारा उत्पन्न वारिसान को ही स्वत्व निहित होते हैं लेकिन उक्त खसरा नंबरान को गलत रूप से प्रतिवादीगण के हिस्से में रखा जाना अंकित किया गया है जबकि इनके अतिरिक्त शेष आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना चाहिये था और वह भी बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त अनुसार बंटवारा आज्ञापति जारी की जानी चाहिये थी लेकिन अधीन्याया द्वारा उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर [वादीगण/रेस्पों](#) संख्या 3 लगायत 4 को गैर कानूनी एवं अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित भूमि पर वादीगण कभी भी काबिज नहीं रहे तथ बाहमी बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नंबर 1411 [प्रतिवादीगण/रेस्पों](#) संख्या 1 लगायत 2 को प्राप्त हुआ है तत्समय से आज दिनांक प्रतिवादीगण तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण द्वारा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे डिक्री दिनांक 2.4.1996 की इजराय करवा कर खसरा नंबर 1411 पर [वादीगण/रेस्पों](#) संख्या 3 व 4 काबिज हुए हो जिससे बिना कब्जे के वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञापति कतई जारी नहीं की जा सकती थी । बहस में आगे कथन किया कि गैना के शेष वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । गैना के वादी संख्या 2 से उत्पन्न दो लड़कियां राधा व बदामी जीवित है एवं धापू व शांति जो द्वितीय पत्नि श्रीमती रतनी से उत्पन्न हुई है तथा कमला व झमकू की

मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान जीवित है जिनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में सभी सहदायिकों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०डी० 1996 पेज 381, 79, आर०आर०डी० 1999 पेज 183, आर०आर०डी० 1995 पेज 113, आर०आर०टी० 2018 पार्ट 2 पेज 1310 सुप्रीमकोर्ट एवं 796, आर०बी०जे० 2019 पेज 486 एवं आर०आर०टी० 2016 (1) पेज 29 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् वास्ते अपील प्रस्तुति की इजाजत प्रदान करने पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष प्रार्थीगण जो कि गैना की जाईन्दा वारिसान है को पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत कर दिया गया एवं प्रार्थीया धापू द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई । विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के साथ बराबर के स्वत्व निहित है जिससे अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के हक व स्वत्व प्रभावित हुए है । अपीलांटस व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुति की इजाजत प्रदान की जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2017 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष प्रार्थीगण जो कि गैना की जाईन्दा वारिसान है को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया थज्ञा एवं प्रार्थीया श्रीमती धापू द्वारा पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रार्थीया संख्या 1 धापू दिनांक 23.7.2017 को अपने पीहर आई तब उसके सगे भाई पांचू व केंसा द्वारा बताया गया कि घीसा व मूमी द्वारा जो दावा पेश किया गया थज्ञा वह उनके हक में डिक्री कर दिया है तथा वकील साहब से नकले प्राप्त कर ली है जिन्हें लेकर न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया लेकिन अधी०न्याया० द्वारा अपील करने के निर्देश दिये जाने पर आवश्यक दस्तावेजात एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
5. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । बहस में कथन किया कि ग्राम शम्भूपुरा तह० ब्यावर के खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं अन्य कृषि भूमियां खसरा नंबर 1237, 1272, 1274 वादीगण/रेस्पो० को न्यायालय श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 86/1995 अजनाम श्री घीसाहि वगै० बनाम पांचू सिंह व अन्य में पारित बंटवारा डिक्री दिनांक 2.4.1996 के अनुसार बतौर खातेदारी प्राप्त हुई थी । शेष खसरा नंबर 1297, 1300, 1303, 1314, 1347, 1430, 1331 व 1332 की भूमि प्रतिवादी वउनकी माता श्रीमती रतनी के हिस्से में आई । उक्त डिक्री के आधार पर नामांतरण संख्या 529 दिनांक 20.7.1996 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में लाल स्याही से अंकन होकर मौके पर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण को करवा दिया गया था तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई हक व अधिकार नहीं है इसीलिये अपीलांटस को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं

किया था । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत करने की इजाजत एवं धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांटस ने स्वयं को गैना का जायंदा वारिसान होना अंकित कर यह अपील पेश की है । हम अपीलांटस को न्यायहित में सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यकत समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
7. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । चूंकि अपीलांटस अधी०न्याया० में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी तत्समय होना नहीं माना जा सकता है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1331 व 1332 रतनी की क्यशुदा खातेदारी की भूमि रही है एवं शेष वादग्रस्त आराजियात ज्ञाना पुत्र कानसिंह की खातेदारी की भूमि थी जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है एवं अपीलांट का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है । वाद संख्या 86/95 में रेस्पों संख्या 1 लगायत 2 व श्रीमती रतनी के साथ दुर्भिसंधी कर गलत राजीनामे के आधार पर दिनांक 2.4.1996 को बिना पुत्रियों को पक्षकार बनाये एवं बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये वाद राजीनामे के आधार पर निर्णित करवा लिया गया जबकि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1411 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपीलांटस को प्राप्त हुई है । अधी०न्याया० द्वारा अविधिक निर्णय व डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ग्राम शम्भूपुरा, तह० ब्यावर पूर्व वाद संख्या 86/95 श्री घीसा व अन्य बनाम पांचू व अन्य में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से दिनांक 2.4.1996 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है । उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार खसरा नंबर 1411 वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये एवं जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक वादीगण के कब्जे काश्त में दखल व व्यवधान करने के कारण अधी०न्याया० के समक्ष वादीगण घीसा व श्रीमती मूमी के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण पांचू व केसा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । अधी०न्याया० द्वारा पूर्व निर्णय व डिक्री 86/1995 दिनांक 2.4.1996 का अवलोकन कर एवं जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 का अवलोकन कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अपीलांटस/प्रतिवादीगण का कथन कि अपीलाधीन भूमि बाहमी बंटवारे में उनको प्राप्त हुई है परन्तु इस संबंध में अधी०न्याया० के समक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य है कि पूर्व पारित राजीनामा डिक्री दिनांक 2.4.1996 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई हो । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर